न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
175/2024	05/06/2024	22/12/2025

1. जगदीश पुत्र काना
2. रामेश्वर पुत्र काना
3. चन्दा उर्फ रामचन्द पुत्र काना
4. सुन्दरी देवी पत्नि जगदीश

समस्त जातियान कुम्हार (प्रजापत), निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर। राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. अशोक कुमार पुत्र ईश्वरलाल
3. कमली पत्नि प्रभूदयाल
4. ग्यारसीलाल पुत्र मूरलीधर (मृतक दौराने दावा)
   - 4/1. योगेश कुमावत पुत्र स्व ग्यारसीलाल कुमावत
   - 4/2. आशीष कुमावत पुत्र स्व ग्यारसीलाल कुमावत
   - 4/3. आरती कुमावत पुत्री स्व ग्यारसीलाल कुमावत
   - 4/4. रेशमी कुमावत पत्नि स्व ग्यारसीलाल कुमावत
5. गुल्ली पत्नि मुरलीधर
6. चौथमल पुत्र प्रभू
7. ताराचन्द पुत्र प्रभू
8. पुष्पेन्द्र पुत्र ईश्वरलाल
9. पिंकी पुत्री ईश्वरलाल
10. मातादीन पुत्र मुरलीधर
11. मोहनलाल पुत्र मुरलीधर
12. विक्रम पुत्र ईश्वरलाल
13. विष्णु पुत्र ईश्वरलाल
14. शोभाराम पुत्र प्रभू
15. संतरादेवी पत्नि ईश्वरलाल
16. रूडी पुत्री स्व0 सोन्या
17. शिमला पुत्री ग्यारसीलाल पौत्री सोन्या

    समस्त जातियान कुमावत निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
18. कैलाश पुत्र भगता उर्फ गिरधारी
19. बंशी पुत्र भगता उर्फ गिरधारी
20. पांचू पुत्र भगता उर्फ गिरधारी

    समस्त जातियान कुम्हार (प्रजापत), निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।
21. सन्तीदेवी पुत्री मुरलीधर पत्नि स्व0 भैरूलाल
22. बिसन्तीदेवी पुत्री मुरलीधर पत्नि बाबूलाल

    जाति कुमावत निवासी कुमावत मोहल्ला, मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा।
23. फूलीदेवी पुत्री मुरलीधर पत्नि बिहारीलाल जाति कुमावत निवासी स्वामी की ढाणी, (श्यामनगर) दूधी आमलोदा, तहसील शाहपुरा।
24. कैलाशीदेवी पुत्री मुरलीधर पत्नि श्रवणलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम जाहोता, जिला जयपुर।
25. मीनूदेवी पुत्री मुरलीधर पत्नि मनोहरलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित अभिभावक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।
श्री सत्यपाल गुर्जर :– वकील अप्रार्थी सं0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व प्रोफार्मा अप्रार्थी संख्या 18 ता 20 की खातेदारी भूमि ग्राम धौला, पटवार मण्डल धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 108 रकबा 0.9990 हैक्टेयर, भूमि स्थित हैं। उक्त खातेदारी भूमि हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व प्रोफार्मा अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 20 की संयुक्त खातेदारी भूमि हैं।, प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 108 रकबा 0.9990 हैक्टेयर हैं, जिसके हाल सेग्रीगेशन नक्शा पूर्व खसरा नम्बर 108 ही रहें हैं, जिसका रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा रहा हैं। जिसकी हाल नवीन नक्शे व सेग्रीगेशन नवीन नक्शा में मौका व गत नक्शा के विपरीत कम रकबा की तरमीम की गई हैं। गत कब्जा मौका नक्शानुसार प्रार्थी की भूमि को संलग्न नजरी नक्शा में केसरियां रंग से दर्शित किया गया है, प्रार्थी की भूमि राजस्व रिकार्ड नक्शा में तरमीम शुदा भूमि रही हैं। जिसको हाल नवीन नक्शा बनाते समय साबिक नक्शा व कब्जा, मौका से विपरीत जमाबन्दी में दर्ज रकबा से कमरकबा की तरमीम कर दी गई हैं। जो जमाबन्दी में दर्ज रकबानुसार पूर्व नक्शा व कब्जा मौका अनुरूप दुरूस्त रुस्त कर तरमीम किया जाना आवश्यक हैं, जिसको दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं। प्रार्थीगण द्वारा तहसील से हाल नवीन नक्शा की नकल प्राप्त की तथा साबिका नक्शा कर भी नकल लेकर उसका मिलान किया तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का हाल नक्शा गत् नक्शे से भिन्न पाया गया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगवा स्थित खसरा नम्बर 109 के नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि (जिसको संलग्न नजरी नक्शे में केसरियां रंग से दर्शाया गया है) को सम्मिलत कर खसरा नम्बर 109 के नक्शा में रकबा को बढ़ा दिया गया एवं कब्जा मौका से भिन्न त्रुटीपूर्ण नक्शा तरमीम कर दी गई हैं, तथा खसरा नम्बर 107 गैं.मु. चाह की भी साबिका नक्शा से विपरीत अधिक रकबानुसार त्रुटीपूर्ण तरमीम कर दी गई हैं। जिससे प्रार्थीगण के नक्शे का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबा से कम हो गया हैं। जो कानूनन गलत हैं जिसे दुरुस्त किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 108 के नक्शे को जमाबन्दी में दर्ज रकबानुसार संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार साबिका नक्शा व कब्जा, मौकानुसार दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण मुस्तहक हैं। मौके पर प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी सम्पूर्ण रकबा पर मुताबिक साबिका नक्शा व संलग्न नजरी नक्शानुसार काबिज, काश्त हैं, तथा अपनी भूमि पर काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का हाल नया नक्शा बनाया गया हैं वह पूर्व साबिका नक्शा तरमीम से भिन्न कमरकबानुसार कायम कर कब्ज़ा मौका के विपरीत गलत तरमीम कर दी गई, जबकि भू–प्रबन्ध कर्मचारियों को जमाबन्दी में दर्ज रकबा से कम रकबा की तरमीम करने व पूर्व तरमीम शुदा खातेदारी से भिन्न नक्शा तरमीम कर मौका कब्जा से भिन्न त्रुटीपूर्ण नक्शा तरमीम करने का कोई अधिकार नही हैं। अपने कम रकबा की त्रुटीपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करवाने प्रार्थीगण को पूर्ण विधिक अधिकार हैं। हाल ही में हुये नवीन सर्वे सेग्रीगेशन नक्शा शीट में सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने प्रार्थीगण की तरमीम शुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बरं 108 की नक्शा तरमीम करते वक्त जमाबन्दी में दर्ज रकबा व पूर्व तरमीम को देखे बिना ही प्रार्थी के कब्जे के विपरित अव्यवहारिक तरीके से नक्शा कायम कर दिया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 108 की नक्शा तरमीम गलत कर प्रार्थीगण का जमाबन्दी में दर्ज रकबा से कम रकबा का त्रुटीपूर्ण नक्शा तरमीम कर दिया गया हैं जो काबिले दुरूस्त योग्य हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की तरमीम नवीन नक्शे में गत नक्शे से भिन्न कम रकबा करके गलत कायम कर दी गई जो कि सेग्रीगेशन पूर्व नक्शा शीट के विपरीत तरमीम हैं तथा जमाबन्दी में दर्ज रकबा से कम होने से नक्शा मेल नही खाता हैं। दौनो में भिन्नता हैं। जिसको संलग्न नजरी नक्शा व साबिका नक्शा मुताबिक तरमीम की जानी चाहिए थी, जो नही की गयी। जिससे हाल नक्शे में गलत तरमीम से अप्रार्थीगण सं. 2 व 4 धमकीयां दे रहे है कि, हम नवीन नक्शा से सीमाज्ञान व पत्थरगडी करवाकर तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके रहेगें तथा तुम्हे पत्थरगडी की आड में बेदखल करके रहेगें। इसलिए प्रार्थीगण के लिए उक्त प्रकरण बाबत नक्शा दुरूस्ती करवाने के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । प्रार्थीगण को उक्त गलत नक्शा तरमीम की जानकारी हाल नक्शा व गत नक्शा की नकले लेने पर गलत तरमीम की पूर्ण जानकारी हुई जिसके बाद प्रार्थी ने तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

महोदय के समक्ष दुरूस्ती हेतु निवेदन किया, परन्तु तहसीलदार महोदय ने प्रार्थनापत्र लेने से मना कर दिया और कहां कि आप समक्ष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर नक्शा दुरूस्त करवावे। इसलिए यह प्रार्थनापत्र नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त प्रकार से प्रार्थीगण की भूमि का जो नवीन नक्शा बनाया गया हैं वह मौके पर कब्जे व गत नक्शे के विपरीत कम रकबानुसार बनाया गयां है जो प्रार्थीगण के अधिकारो के प्रभाव में शुन्य हैं जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। अतः ग्राम धौला, पटवार हल्का धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 108 के सेग्रीगेशन नवीन नक्शे को जमाबन्दी में अंकित रकबा से कम रकबानुसार कायम की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को जमाबन्दी में दर्ज रकबे के मुताबिक पूर्व नक्शा तरमीम के अनुरूप, नक्शा दुरूस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। अप्रार्थी सं0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 की ओर से एड0 श्री सत्यपाल गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। शेष अप्रार्थीगणों को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 4/1 ता 4/4, 18 ता 25 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थीगण ने अपना जवाब व प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रारम्भिक आपत्ति – प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 132, 136 एल आर एक्ट में मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त करवाने का प्रोविजन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 108 रकबा 0.9990 हैक्टेयर जिसके हाल सेग्रीकेशन पूर्व खसरा नं. 108 ही रहे है को नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व राजस्व नक्शा अनुसार दुरूस्त करवाने बाबत कोई अनुतोष प्रार्थीगण द्वारा नहीं चाहा गया है। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के तहत पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शे को दुरूस्त करवाया जा सकता है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 109 रकबा 0.6828 हैक्टेयर है। जो सेग्रीकेशन के पूर्व राजस्व नक्शे में भी अंकित रही है। तथा प्रार्थी जिस भाग को दुरूस्त करवाकर अपनी खातेदारी भूमि में जुडवाना चाहता हे वह हिस्सा पूर्व राजस्व नक्शे में मिनउत्तरदाता की खातेदारी भूमि खसरा नं. 109 का ही भाग रहा है। तथा उक्त भाग पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है तथा उक्त हिस्सा दो लाईनों द्वारा प्रार्थी की ही भूमि में खुलता हुआ है। जिससे प्रार्थीगण का कोई हक संबंध नहीं है। यदि प्रार्थीगण की भूमि का राजस्व नक्शा पूर्व राजस्व नक्शे में भी कम अंकित था तो वर्तमान राजस्व नक्शे में भी कम ही अंकित होगा किसी अन्य की भूमि के राजस्व नक्शे को कम कर प्रार्थीगण अपनी भूमि में जुडवाने का कोई घोषणात्मक हक अधिकार उक्त प्रार्थना पत्र में नहीं रखने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र काबिले खारिज किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि खसरा नं. 107 व 106 का राजस्व नक्शा बडा हुआ हे लेकिन प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के खातेदारों को पक्षकार वाद नहीं बनाया गया। व श्रीमान तहसीलदार की रिपोर्ट कही भी यह अंकित नहीं हे कि वर्तमान राजस्व नक्शा पूर्व राजस्व नक्शे के विपरीत बनाया गया है व खसरा नं. 109 के जिस भाग को प्रार्थीगण खसरा नं. 108 का भाग बता रहे है वो पूर्व नक्शे में कभी भी खसरा नं. 108 का हिस्सा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से काल्पनिक नक्शा बनाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं 109 के राजस्व नक्शे को कम करवाने व किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने का हक अधिकार उक्त प्रार्थना पत्र 131, 132, 136 के प्रोविजन में नहीं होने से काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब – प्रार्थना पत्र का मद सं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है। उक्त मद में प्रार्थीगण ने कतई गलत अंकित किया है कि खसरा नं. 108 को सेग्रीकेशन नवीन नक्शा में मौका व गत नक्शा के विपरीत कम नक्शे की तरमीम की गई है। व गत कब्जा मौका अनुसार प्रार्थी की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में केसरिया रंग से दर्शित किया गया है व प्रार्थी की भूमि राजस्व रिकार्ड नक्श में तरमीम शुदा रही है। आदि तथ्य कतई गलत अंकित किये है जबकि वास्तविकता यह है कि सेग्रीकेशन के दौरान अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 109 के राजस्व नक्शे मे जो डोटेड लाईन से खुला हुआ भाग जो कि खसरा नम्बर 109 का ही हिस्सा था जिस पर अप्रार्थी सं0 2 ता 17 व उनके हकपूर्वाधिकारी काबिज काश्त रहे है व मौके पर भी काबिज काश्त रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 109 के राजस्व नक्शे मे किसी भी प्रकार की हेर फेर व बदलाव करवाने का हकधिकारी नही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र काबिले खारिज किया जावें। मद सं0 3 में प्रार्थीगण द्वारा कतई गलत तथ्य अंकित किये

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का हाल नक्शा गत नक्शे से भिन्न पाया गया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगवा स्थित खसरा नं. 109 के नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि संलग्न नजरी नक्शे में केसरिया रंग से दर्शाया गया है को सम्मलित कर दिया हो जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण द्वारा जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वो पूर्व राजस्व नक्शे में खसरा नं. 109 का ही भाग रहा है। यदि उक्त भाग सेग्रीगेशन के पूर्व राजस्व नक्शे में खसरा नं. 108 का भाग होता तो प्रार्थीगण को नजरी नक्शा लगाकर घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नही होती मात्र पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार ही दुरूस्ती चाहने का अनुतोष ही प्रार्थीगण प्राप्त कर सकते थे। दौराने सेग्रीगेशन मिउत्तरदाता की भूमि खसरा नं. 109 के राजस्व नक्शे में जो हिस्सा मिनउत्तरदाता की भूमि में खुलता हुआ था जो कि खसरा नं. 109 का ही भाग था को मिलाकर सेग्रीगेशन की कार्यवाही के दौरान नवीन नक्शा बनाया गया जो कि सही है व उक्त राजस्व नक्शे अनुसार ही मिनउत्तरदाता व उसके हक अधिकारी ही काबिज काश्त रहे है। उक्त मद में प्रार्थी ने खसरा नं. 107 गै.मु. चाहा की भी साबिक नक्शा से विपरीत त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी गई बाबत जो तथ्य अंकित किये है। कतई गलत है। खसरा नम्बर 107 व 109 की उक्त तरमीम सेग्रीगेशन के पूर्व की तरमीम के कोई भिन्नता नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र दुरूस्तनीय नही होने के कारण व पूर्व राजस्व नक्शा व वर्तमान राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की भिन्नता नही होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/24/3752 दिनांक 09.07.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने जवाब मे निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम धौला के खसरा नम्बर 108 रकबा 0.9900है0 रामेश्वर, भगता, चन्दा पि0 काना हि0 3/4, जगदीश पुत्र काना हि0 27/412, सुन्दरी देवी पत्नि जगदीश हि0 19/103 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह खातेदार रिकार्ड दर्ज है। सेग्रीगेशन के दौरान ग्राम धौला के खसरा नम्बर 108 का सेग्रीगेशन पूर्व खसरा नम्बर 108 दर्ज रिकार्ड था। वर्तमान राजस्व नक्शाशीट में खसरा नम्बर 108 तरमीम शुद्व है। सेग्रीगेशन पश्चात ऑनलाईन नक्शा शीट में खसरा नम्बर 108 की तरमीम की रकबा बरारी करने पर जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम 0.55है0 पाया गया। संलग्न खसरा नम्बरान 109, 107, 106 का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे से अधिक पाया गया। रकबा बरारी खसरा नम्बर 108 की प्रस्तावित दुरूस्ती का नक्शा संलग्न है। ग्राम धौला के हाल सेग्रीगेशन से पूर्व साबिक नक्शा शीट में तरमीम शुद्व खसरा नम्बर 108, 109, 107 की तरमीम वर्तमान सेग्रीगेशन शीट के तरमीम शुद्व खसरा नम्बर 108, 109, 107 से भिन्न है। खसरा नम्बर 107 रकबा 0.0126है0 किस्म गै0मु0चाह दर्ज जबकि वर्तमान नक्शें मे साबिक से भिन्नता 0.21है0 में तरमीम शुद्व है। जो कि खसरा नम्बर 108 का भाग है तथा खसरा नम्बर 109 में साबिक नक्शें मे खसरा नम्बर 108 का भी भाग तरमीम शुद्व की काली लाईन से दर्ज रिकार्ड था। जिसमें उक्त भाग को दो लाईनों द्वारा क्रॉस किया हुआ। खसरा नम्बरान 106 की तरमीम की रकबा बरारी करने पर दर्ज रकबा से अधिक पाया गया। अतः साबिक नक्शा व रकबा बरारी अनुसार व मौका कब्जा अनुसार संलग्न नक्शा दुरूस्ती प्रस्तावित है।

बहस वकील उभय पक्षों एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब/रिपोर्ट का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम धौला, पटवार हल्का धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित उक्त वादांकित भूमि के खसरा नम्बर 108 के सेग्रीगेशन नवीन नक्शें को जमाबन्दी में अंकित रकबे के मुताबिक रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शें अनुसार रकबा बरारी कर गत नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner